रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122023-250438
CG-DL-E-05122023-250438

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 692]	नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 5, 2023/अग्रहायण 14, 1945
No. 692]	NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 5, 2023/AGRAHAYANA 14, 1945

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2023

सा.का.नि. 875(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) और 1(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमवली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों को भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2023 कहा जाएगा।

(2) इन्हें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ माना जाएगा।

2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 5 में उप नियम (10) के लिए निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे; अर्थात्:-

"(10) सेवा में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति होने पर सेवा के सदस्य के पास उच्च पद के वेतन स्तर में अपनी पदोन्नति की तिथि से या उपरोक्त संगत उप-नियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार निचले स्केल में जिस तिथि को वह वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) अर्जित करता है उस तिथि से अपने वेतन को नियत करवाने का विकल्प होगा; बाद के मामले में, पदोन्नति की तारीख पर सेवा के सदस्य को उस स्तर में अगले उच्चतर सेल में

रखा जाएगा जिसमें निचले स्केल में अगले वेतन वृद्धि की तारीख अर्थात् जुलाई की पहली तारीख या जनवरी की पहली तारीख से उपर्युक्त संगत उप-नियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किए जाने वाले अगले पुनः नियतन के साथ उसे पदोन्नत किया जाता है।

[फा. सं. 14021/01/2023-अ.भा.से.-II]

जे. अशोक कुमार, निदेशक

व्याख्यात्मक ज्ञापन:

केंद्र सरकार ने भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2016 के नियम 5 के उप-नियम 10 में संशोधन करने का निर्णय लिया है जो भा.व.से के अधिकारियों के उनके एक ग्रेड से दूसरे में पदोन्नति पर वेतन नियतन का उपबंध करता है। तद्नुसार भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 को 01 जनवरी, 2016 से संशोधित किया जा रहा है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय वन सेवा का कोई सदस्य इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से प्रतिकूल रूप में प्रभावित नहीं होने जा रहा है।

टिप्पणी: प्रधान नियमावली को भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 28 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 924 (अ) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन 30 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 916(अ) के माध्यम से किया गया था।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2023

G.S.R. 875(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (1A) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2016, namely: ─

1. (i) These rules may be called the Indian Forest Service (Pay) Amendment Rules, 2023.

(ii) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016.

2. In the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2016, in rule 5, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(10) On promotion from one grade to another in the Service, a member of the Service shall have an option to get his pay fixed in the Level of the higher post either from the date of his promotion or from the date on which he subsequently earns an increment in the lower scale in the manner provided in the relevant sub-rule above; in the latter case, on the date of promotion, a member of Service shall be placed at the next higher cell in the Level to which he or she is promoted with further re-fixation to be done in the manner provided in relevant sub-rule above with effect from the 1st day of January, or the 1st day of July, the date of accrual of next increment in the lower scale."

[F. No. 14021/01/2023-AIS-II]

J. ASHOK KUMAR, Director

Explanatory Memorandum:

The Central Government has decided to amend sub-rule 10 of rule 5 of the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2016 which provides for the fixation of pay of IFS officers on their promotion from one grade to another. The Indian Forest Service (Pay) Rules, 2016 are being amended accordingly with effect from the 1st January, 2016.

It is certified that no member of the Indian Forest Service is likely to be adversely affected by giving retrospective effect to these rules.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number GSR 924 (E) dated the 28th September, 2016 and last amended *vide* notification number GSR 916(E) dated the 30th December, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.12.05 21:00:20 +05'30'